इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.


# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 जनवरी 2021—माघ 1, शक 1942


### लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2021

क्र. एफ-2-5-2021-लोसेप्र-इकसठ-1-पी.एस.जी.-20.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निम्न सेवाओं की पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. एफ-2-23-2017-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-20 दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 एवं अधिसूचना क्र एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-37 दिनांक 7 जून, 2017 को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार नवीन सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा, द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत् औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की सेवाएं**

| सेवा क्र. | सेवाएं | पदाभिहित अधिकारी का पदनाम | सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा | प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम | प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा | द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | **एमपीआईडीसी के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आवंटन** | | | | |
| 20.8 | आशय पत्र जारी करना.—1. इकाई अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी तथा शेड एवं बिल्डिंग में संयुक्त रूप से राशि रु. 10 करोड़ के बराबर अथवा उससे अधिक निवेश प्रस्तावित करने की स्थिति में. | कार्यकारी संचालक, एम.पी.आई.डी.सी. लि., क्षेत्रीय कार्यालय | 1. तत्क्षण— ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने पर पदाभिहित पोर्टल द्वारा आशय पत्र उसी दिवस में स्वत: उत्पन्न किया जावेगा. | प्रबंध संचालक, एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., भोपाल | 30 दिवस | अध्यक्ष, एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., भोपाल. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2. इकाई अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी तथा शेड एवं बिल्डिंग में संयुक्त रूप से राशि रु. 10 करोड़ से कम निवेश प्रस्तावित करने की स्थिति में. | | 2. 7 दिवस | | | |
| 20.9 | आवंटन आदेश जारी करना. | कार्यकारी संचालक, एम.पी.आई.डी.सी. लि., क्षेत्रीय कार्यालय | 04 दिवस (आशय पत्र की पूर्ण राशि प्राप्त होने की दिनांक से) | प्रबंध संचालक, एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., भोपाल | 30 दिवस | अध्यक्ष, एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., भोपाल. |
| 20.10 | पट्टा अभिलेख का निष्पादन | कार्यकारी संचालक, एम.पी.आई.डी.सी. लि., क्षेत्रीय कार्यालय | 10 दिवस (आवंटन आदेश की शर्तों की पूर्ति सहित) | प्रबंध संचालक, एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., भोपाल | 30 दिवस | अध्यक्ष, एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., भोपाल. |
| 20.11 | आधिपत्य प्रदान करना | कार्यकारी संचालक, एम.पी.आई.डी.सी. लि., क्षेत्रीय कार्यालय | 03 दिवस (पट्टा अभिलेख के पंजीयन होने के उपरांत) | प्रबंध संचालक, एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., भोपाल | 15 दिवस | अध्यक्ष, एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., भोपाल. |
| 20.12 | नगरीय क्षेत्रों में एम.पी.आई.डी.सी. लि., के अधीन विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भवन निर्माण की अनुमति | कार्यकारी संचालक, एम.पी.आई.डी.सी. लि., क्षेत्रीय कार्यालय | 10 दिवस | प्रबंध संचालक, एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., भोपाल | 10 दिवस | अध्यक्ष, एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., भोपाल. |
| 37.1 | म. प्र. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि., के अधीन विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में ईकाइयों को जल आवंटन. | कार्यपालन यंत्री, एम.पी.आई.डी.सी. लि., क्षेत्रीय कार्यालय | 05 कार्य दिवस | कार्यकारी संचालक, एम.पी. आई.डी.सी. लि., क्षेत्रीय कार्यालय | 07 कार्य दिवस | प्रबंध संचालक, एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. |

2. राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्न सेवाएँ—

**सेवा क्र. 20.8**—आशय पत्र जारी करना—2. इकाई अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी तथा शेड एवं बिल्डिंग में संयुक्त रूप से राशि रु. 10 करोड़ से कम निवेश प्रस्तावित करने की स्थिति में.

**सेवा क्र. 20.9**—आवंटन आदेश जारी करना.

**सेवा क्र. 20.11**—आधिपत्य प्रदान करना.

को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत मान्य अनुमोदन हेतु अधिसूचित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**रिपुदमन सिंह भदौरिया,** उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.